फा. सं. 11013/7/2014-स्था.(क-III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना प्रभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013- लोक सेवक द्वारा प्रति वर्ष परसंपत्तियों एवं देयताओं के विषय में घोषणा प्रस्तुत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा परसंपत्तियों एवं देयताओं के विषय में घोषणा प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 17.2.2015 के का.ज्ञा. सं.11013/3/2014-स्था.(क) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(i) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी सेवक किसी सेवा अथवा पद पर उनकी प्रथम नियुक्ति होने पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, चल, अचल एवं मूल्यवान संपत्तियों एवं ऋणों तथा अन्य देयताओं इत्यादि के संबंध में पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी परसंपत्तियों एवं देयताओं की विवरणी प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, नए नियुक्त किए गए के अतिरिक्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपने नाम में अथवा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम में अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम में उसके द्वारा विरासत में प्राप्त स्वामित्व वाली/अधिगृहित/पट्टे/रहन पर रखी अचल संपत्तियों संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. सरकार द्वारा अधिसूचित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (लोकपाल अधिनियम) में सभी लोक सेवकों को उनकी प्रथम नियुक्ति होने पर तथा तदनन्तर प्रत्येक वर्ष, अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में घोषणा करनी होगी। इस अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के साथ पठित धारा 59 की उप-धारा (1), खण्ड (ट) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग ने लोक सेवक (परिसंपत्ति एवं देयता संबंधी सूचना तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना तथा विवरणी दाखिल करने में परिसंपत्तियों की छूट की सीमा) नियमावली, 2014 अधिसूचित की है। घोषणा के लिए प्रपत्र अनुबंध-I पर है। समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' से संबंधित सभी सरकारी सेवकों को अब संलग्न फार्मेट में अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. दिनांक 30.4.2015 के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं. 407/12/2014-एवीडी-IV-ख द्वारा इस विभाग ने लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत सभी संबंधितों को परिसंपत्ति एवं देयता संबंधी विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा के बारे में सूचित किया है, जो निम्नानुसार हैः-

i) लोकपाल अधिनियम (1.08.14 तक की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत प्रथम विवरणी 15.10.15 को अथवा इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए;
ii) लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए अगली वार्षिक विवरणी 15.10.2015 को अथवा इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए; तथा
iii) 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार बाद के वर्षों की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की 31 जुलाई को अथवा इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए।

4. अतएव, यह अनुरोध है कि सभी संबंधितों को पैराग्राफ 3 में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर विवरणी दाखिल करने के लिए उपयुक्त रूप से सलाह दी जाए। यहां यह सूचित करना संगत है कि लोकपाल अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर अथवा न्यायोचित कारणों के बिना (क) अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा नहीं कर पाता है; अथवा (ख) ऐसी परिसंपत्तियों के बारे में भ्रामक सूचना देता है तथा इसके कब्जे में ऐसी परिसंपत्तियां पायी जाती है जिनके बारे में विवरणी में प्रकटन नहीं किया गया है अथवा जिनके बारे में भ्रामक सूचनाएं दी गई थीं, तब ऐसी परिसंपत्तियों को अन्यथा साबित न होने तक, लोक सेवक का ही माना जाएगा तथा परिसंपत्तियों को भ्रष्ट साधनों से अर्जित किया हुआ माना जाएगा।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
फैक्सः 23093176

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी।
15. एडीजी (एम एंड सी), पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
16. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश-स्थापना- (आचरण नियमावली)।

परिशिष्ट - 1
(नियम 3(1) देखिए)

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति .....

(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा –

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररुप 1 से प्ररुप 4 मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

.....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ——

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रुप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररुप सं 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं । (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

परिशिष्ट - 2
(नियम 3 (1)देखिए)

प्ररुप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यौरे

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रुप से फाइल की जाती है ।
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित -2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक हैं

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

"प्ररुप सं0 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं0	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉंड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पेंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंर्तगत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मदें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ड) इलैक्ट्रानिक उपस्कर (च) अन्य	

	(किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	

तारीख..... हस्ताक्षर.....

*विदेशी बैंक (बैंकों) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

प्ररुप सं0 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/ फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों के मामलों में)	भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सेवक के नाम नहीं है तो किसके नाम धारित है, उल्लेख करें और उससे लोक सेवक की नातेदारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टे, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के ब्यौरे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण – 1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा "पद" से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

"प्ररुप सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वंय/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं है (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किऐ जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंको, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसो) को सम्मिलित करना होगा ।